Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492 001 (C.G.)
Ph.0771-4073568, Fax: 4073553
Website: www.cserc.gov.in, E-mail: cserc.sec.cg@nic.in;

NOTICE FOR PUBLIC HEARING

M/s Jindal Steel and Power Limited (JSPL-T) has filed petition for determination of ARR for FY 2025-26 alongwith revised estimate for FY 2024-25 and true-up for FY 2023-24 for its licensed transmission business under section 61, 62 & 86(1)(a) of the Electricity Act, 2003. This petition has been registered as petition no. 01 of 2025. Gist of the petition was published on 24/01/2025 for inviting objections/suggestions from stake holders. This petition is available on the Commission's website ***www.cserc.gov.in*** since the date of publication of the gist. Though sufficient time has been given to stakeholders/public for filing objections/suggestions on above petitions, stakeholders may still file their objections/suggestions till the date of hearing.

A public hearing on this petition will be held on **19/06/2025** at **05:00 p.m.** in the Commission's court room. Changes in hearing schedule, if any, shall be updated on the Commission's website www.cserc.gov.in.

SECRETARY

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर **492001**
वेब साईट *www.cserc.gov.in* ई–मेल *: cserc.sec.cg@nic.in* फोन नं. *0771-4735688* फैक्स *4073553*

जन–सुनवाई हेतु सूचना

मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवार लि. (जेएसपीएल–टी) द्वारा अपने लायसेन्स ट्रान्समिशन बिजनेस के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता, वित्तीय वर्ष 2024–25 का संशोधित अनुमान तथा 2023–24 के ट्रू–अप हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62, 86(1)(a) के अंतर्गत आयोग के समक्ष याचिका दायर की है। इस याचिका को याचिका क्रमांक 01/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया है। याचिका पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु याचिका का सारांश दिनांक 24/01/2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। यह याचिका आयोग की वेबसाईट ***www.cserc.gov.in*** पर याचिका के सारांश प्रकाशन के दिनांक से उपलब्ध है। यद्यपि याचिका पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया था तथापि याचिका पर आपत्ति/सुझाव जन सुनवाई की तिथि तक प्रस्तुत की जा सकती है।

उक्त याचिका पर जन–सुनवाई दिनांक **19/06/2025** को सायं **05:00 बजे** आयोग के कोर्ट रूम में की जाएगी। उपरोक्त जन–सुनवाई की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसे आयोग की वेबसाइट ***www.cserc.gov.in*** के माध्यम से सूचित की जाएगी।

सचिव